अनुदान संख्या 53 – मंत्रिमंडल
GRANT No. 53–CABINET

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*6,00*	*14,00*	*7,73*	*–6,27*
पूरक	*Supplementary*	*8,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	163,04,00	225,49,00	205,14,90	–20,34,10
पूरक	Supplementary	62,45,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,24,58
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		1,00,00	4,60	–95,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*6.27 लाख रु.)* मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए *8.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 78 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 45 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the c*harged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.6.27 lakhs*) constituted 78 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.8.00 lakhs* obtained in March, 2005 and 45 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	*6.00*	*14.00*	*7.73*	*–6.27*
पू.	S.	*8.00*			

(I) ''विशेष सुरक्षा दल - स्थापना'' के अंतर्गत *6.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *8.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *14.00 लाख रु.* कर दिया गया, यद्यपि, जो न्यायालय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के एक मामले को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से प्रतिपूर्ति अधिनिर्णय से संबंधित अदायगी न किए जाने के कारण *6.27 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Special Protection Group – Establishment"- the original *appropriation* of *Rs.6.00 lakhs* was augmented to *Rs.14.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.8.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.6.27 lakhs*- due to non-payment of compensation award owing to non-finalisation of one Motor Accident Claims Tribunal case by Court.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2034.10 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 6245.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (2324.58 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2034.10 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grant of Rs.6245.00 lakhs obtained in March, 2005 and 9 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.2324.58 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2013'' मंत्रिपरिषद	Major Head "2013" Council of Ministers				
मू.	O.	8255.00			
पू.	S.	4484.00	11631.47	12276.76	+ 645.29
पु.	R.	–1107.53			
मुख्य शीर्ष ''2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	7909.00			
पू.	S.	1746.00	8437.95	8083.18	–354.77
पु.	R.	–1217.05			

(I) मुख्य शीर्ष ''2013'' - ''प्रधानमंत्री कार्यालय - स्थापना'' के अंतर्गत 1439.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 131.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1570.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, समयोपरि भत्ते

(I) Under Major Head "2013" – "Prime Minister's Office - Establishment" – the original provision of Rs.1439.00 lakhs was augmented to Rs.1570.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.131.00 lakhs. However, there was a saving

के लिए कम कर्मचारियों के पात्र होने, हार्डवेयर के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता अधिकांशत: प्रधानमंत्री कार्यालय को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाने, राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद के लिए रखे गए प्रावधानों का अंतरण किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण 211.11 लाख रु. की बचत हुई।

(II) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''विशेष सुरक्षा दल - स्थापना'' के अंतर्गत 7909.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1746.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 9655.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो मशीनरी की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, विशेष सुरक्षा दल संरक्षितों के घरेलू दौरे प्रत्याशा से कम होने, लेखन सामग्री, टेलीफोन एवं अन्य कार्यालय उपस्करों और एस्कॉर्ट सफारी वाहन की अधिप्राप्ति पर कम व्यय होने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम कार्य किए जाने, 9 मिमी बॉल गोला-बारूद को कम किए जाने और विशेष सुरक्षा दल द्वारा किराए पर लिए गए भवन की किराया दरों में संशोधन होने के कारण 1571.82 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2013'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''मंत्रिमंडल सचिवालय - सचिवालय मुख्य''- 135.17 लाख रु. की बचत (973.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों के न भरे जाने और बिना विभाग के मंत्री के कर्मचारियों के सृजित पदों का अंतरण किए जाने, कम विदेशी दौरे किए जाने और नीतिगत दक्षता इकाई द्वारा अध्ययन आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''दौरा व्यय - राज्य मंत्री''- 111.10 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिपरिषद का आकार कम कर दिए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष जिसके अंतर्गत समस्त व्यय को निधियों का पुनर्विनियोग करके पूरा किया गया था, के अंतर्गत हुए 76.78 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत 95.40 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 95 प्रतिशत थी।

of Rs.211.11 lakhs (including supplementary grant) due to fewer employees becoming eligible for overtime allowance, Information Technology related support in case of hardware largely provided by National Informatics Centre to Prime Minister's office, transfer of the provisions kept for National Advisory Council and economy cut.

(II) Under Major Head "2055" – "Special Protection Group – Establishment" - the original provision of Rs.7909.00 lakhs was augmented to Rs.9655.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1746.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1571.82 lakhs – due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery, less domestic tours of Special Protection Group protectees than anticipated, less expenditure on stationery, telephones and other office equipments and on procurement of Escort Safari Vehicle, less work undertaken by Central Public Works Department, reduction of 9 MM ball ammunition and revision in rent rates of building hired by Special Protection Group.

(III) Under Major Head "2013" – savings also occurred under the following heads:-

(A) "Cabinet Secretariat – Secretariat Main" – saving of Rs.135.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.973.00 lakhs) was due to non-filling up of posts and transfer of posts created for staff of Minister without portfolio, fewer foreign tours and non-conduct of study by Strategic Efficiency Unit.

(B) "Tour Expenses – State Ministers" – saving of Rs.111.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to reduction in size of Council of Ministers.

3. The above savings were partly offset by an excess of Rs.76.78 lakhs under one head under which the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

4. In the capital section of the grant, saving of Rs.95.40 lakhs occurred under one head constituting 95 percent of the sanctioned provision.